न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जोधपुर
पीठासीन अधिकारी–अजीत सिंह राजावत आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्या 391/2024

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
नारायण सिंह सांखला पुत्र रामचन्द्र माली, निवासी पंचवटी कॉलोनी, रातानाड़ा, जोधपुर		राज0 सरकार जरिये तहसीलदार लूणी, जिला जोधपुर ग्रामीण

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 01.10.2024 अतिरिक्त जिला कलेक्टर जोधपुर (ग्रामीण) राजस्व अपील सं0 58/2024 (2024/148) अनवान तहसीलदार लूणी बनाम नारायण सिंह

उपस्थित–
1. श्री गजेन्द्र सिंह सांखला, वकील अपीलांट
2. श्री नवल सिंह दहिया, राजकीय अधिवक्ता

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

निर्णय

दिनांक 09.12.2024

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अपीलान्ट ने अति0 जिला कलेक्टर जोधपुर (ग्रामीण) द्वारा राजस्व अपील संख्या 58/2024 में पारित निर्णय दिनांक 01.10.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसील लूणी स्थित ग्राम निम्बला के खसरा नं0 101/2 में से 0.02 बीघा एवं 101/3 में से 0.10.02 बीघा कृषि भूमि का कार्यालय विहित अधिकारी जिला कलेक्टर जोधपुर के आदेश कमांकः प.12(3–12)राज/92/रूपा./05/61 दिनांक 06 जुलाई 2005 को अपीलांट–नारायणसिंह के नाम वाणिज्यिक (पेट्रोल पम्प) प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन आदेश जारी किया गया था। उक्त संपरिवर्तन आदेश के बिन्दु सं0 11(ii) के अनुसार यदि आवेदक आदेश जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जावेगी और प्रिमियम धन समप्रहृहत हो जावेगा। रेस्पो0–

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

अपीलांट–तहसीलदार लूणी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट अनुसार रूपांतरित भूमि का वाणिज्यिक (पेट्रोल पंप) प्रयोजनार्थ उपयोग नही होने से पारित नामान्तरकरण संख्या 465 ग्राम निम्बला दिनांक 27.12.2022 को निरस्त करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व प्रथम अपील सं0 58/2024 प्रस्तुत की गई। जिसमें पारित निर्णय दिनांक 01.10.24 द्वारा अपीलांट–प्रत्यर्थी–नारायणसिंह को संपरिवर्तन आदेश के बिन्दु सं0 11(ii) की अवहेलना करना मानते हुए, अपील स्वीकार कर अपीलाधीन ना0क0सं0 465 दिनांक 27.12.22 को निरस्त कर दिया गया। इससे व्यथित होकर अपीलांट ने राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 76 के तहत यह द्वितीय अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

हमने दोनों पक्षों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। दौरान सुनवाई अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने अपील मीमों में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्यतः यह निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा संपरिवर्तित भूमि का उपयोग व्यवसाय करने हेतु 2 वर्ष पूर्व शुरू कर दिया गया तथा संपरिवर्तन आदेश दिनांक 6.7.05 की समयावधि बढाने हेतु दिनांक 12.6.07 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसके अनवर्ड नं0 11364 है, वह आज भी विचाराधीन है। 2 वर्ष के अंदर पेट्रोल पंप लगाने की प्रकिया में कानूनी जटिलताओं के कारण पेट्रोल पम्प का संचालन नही किया जा सका। अधीनस्थ न्यायालय द्वारां इस पर विचार किए बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया। अपीलांट के पास संपरिवर्तित भूमि पर आई0ओ0सी0 का पेट्रोल पम्प लगाने की डीलरशीप प्राप्त है। संपरिवर्तित भूमि स्वयं अपीलांट की है। अपीलांट द्वारा जिला कलेक्टर जोधपुर (ग्रामीण) के कार्यालय में समयावधि वृद्धि हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 21.3.24 के संदर्भ में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। अतः प्रक्रियाधीन कार्यवाही के बीच अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया, जो विधिविरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 1.10.24 को निरस्त कर, अपीलाधीन जैर ना0क0सं0 465 दिनांक 27.12.22 को यथावत रखने का आग्रह किया गया।

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

रेस्पो0 की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए प्रकट तथ्यों के आधार पर विधिसम्मत निर्णय पारित कराने का आग्रह किया गया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली व उसके सलंग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। जिसके आधार पर यह पाया गया कि प्रकरण में जिला कलेक्टर जोधपुर (ग्रामीण) के पत्र कमांकःप.12(3—)राज़./रूपा./1992/2024/3357 दिनांक 4.11.24 द्वारा अपीलांट को संपरिवर्तन आदेश दिनांक 06.07.2005 के निरस्त से पूर्व सुनवाई का अवसर दिया गया है, अर्थात उक्त संपरिवर्ततन आदेश प्रभाव में है तथा इस संबंध में अंतिम निर्णय हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। जिसके चलते अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत एवं न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

परिणामस्वरूप अपील अपीलांट स्वीकार योग्य पायी जाने से तद्नुसार स्वीकार की जाती है तथा अतिरिक्त जिला कलेक्टर जोधपुर (ग्रामीण) द्वारा राजस्व अपील संख्या 58/2024 (2024/148) में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.10.2024 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 09..12.2024 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

09.12.24

(अजीत सिंह राजावत)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त,
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर